कोर्ट-I

रिव्यू 3958-I/15

दिनेश सोनी पुत्र श्री प्रभुलाल सोनी
निवासी–भोपाल रोड, नरसिंहगढ़
जिला–राजगढ़ (म0प्र0)--- **प्रार्थी/पुनर्रावलोकनकर्ता**

128

श्री मेहरबान सिंह अधिवक्ता द्वारा आज दि0 17/11/14 को प्रस्तुत।

विरूद्ध

(1) **म0प्र0 शासन**
(2) **जुगलकिशोर सोनी** पुत्र श्री बालकिशन जड़िया
निवासी–बड़ा बाजार, नरसिंहगढ़,
जिला–राजगढ़ (म0प्र0) --- **प्रत्यर्थीगण**

17/11/14

अधीक्षक

24.12.14

प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3247–एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 2–7–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।

2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी.

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती.

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों ।

प्रशा0 सदस्य